<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 10 / 2022 (बांसवाड़ा डिक्री)</u>

1. बदरू पिता रामजी, जाति भील, निवासी फुलपुरी, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूरजी पिता रामजी, जाति भील, निवासी फुलपुरी, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. मानसिंह पिता कालु जी, जाति भील, निवासी फुलपुरी, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. तहसीलदार, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ दिनांक 26.12.2017 प्रकरण संख्या 28 / 2017

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री रवि पुरी अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रे.सं. 1

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 27–06–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम खाता संख्या 34 रकबा 3.76 एकड़ भूमि जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में दर्ज है, जिसके खसरा नंबर 62 / 2, 122 / 113 / 92, 77 / 2, 87 / 2, 119 / 76 कुल किता 5 रकबा 3.76 एकड़ है। उक्त भूमि वादी के पिता कालू जी के नाम दर्ज थी, जिनके देहावसान के बाद वादी के नाम दर्ज हुई है। उक्त आराजी में से आराजी नंबर [illegible] रकबा 1.14 एकड़ वादी ने प्रतिवादीगण को 7–8 वर्ष पूर्व खेती [illegible] के लिए दी, किन्तु अब

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं तथा लडाई–झगडा करते हैं। अतः आराजी नंबर 87/2 रकबा 1.14 एकड़ भूमि का कब्जा वादी को दिलाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26–12–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 31–05–2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं दी गयी। विपक्षी ने प्रार्थीगण की फसल काटने का प्रयास किया तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की शुरू से जानकारी थी, फिर भी अपील चार वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा विलम्ब का कोई युक्ति–युक्त कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील चार वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण अपीलान्टगण ने बताये हैं, वह न तो उचित प्रकट होते हैं न ही इतने वर्षो के विलम्ब हेतु कोई पर्याप्त कारण है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित त[illegible]नः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आरा[illegible] 87/2 [illegible]त रूप से रेस्पोन्डेन्ट के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:34 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हो जाने से नाजायज लाभ उठाकर उक्त भूमि हड़पना चाहता हैं, जबकि उक्त आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा आज भी चला आ रहा है तथा मौके पर मकान भी बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि वादी विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय परित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में विवादित आराजी नंबर 87/2 रकबा 1.14 हैक्टर भूमि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज है। रेकार्डेड खातेदार की भूमि में यदि किसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है अथवा कब्जा कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को बेदखल करने एवं खातेदार के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने बाबत् पाबन्द किया जाना विधिक दृष्टि से न्याय संगत है। उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का आदेश दिया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 26-12-2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27-06-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:34 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

बदरू आत्मज रामजी, जाति भील, निवासी फुलपुरी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य

बनाम

मानसिंग आत्मज कालु, जाति भील, निवासी फुलपुरी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.......10 / 2022...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....सज्जनगढ़......... मुकाम................मुवर्खे.............26..............माह..............12............2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........27....माह........06....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री रवि पुरी.....मिनजानिब अपीलान्ट व...........श्री जयेन्द्र पुरोहित ....

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 26–12–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......27.......माह.......06..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर अपीलेन्ट का कुल [illegible] अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:34 IST
Reason: SelfAttested